राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25 (52) परि/कंप्यूटर/12/3142 जयपुर दिनांकः– 26/2/15

कार्यालय आदेश संख्या 03/2015

विषयः– अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों का राजस्थान राज्य में प्रवेश करने पर ऑन लाईन कर जमा करवाने की सुविधा के सम्बध मे दिशा निर्देश।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 23.02.2015 को अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों का राजस्थान राज्य में प्रवेश करने पर देय कर (tax) को ऑन लाईन जमा करवाने की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा http://www.transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक अथवा http://www.vahan.raj.nic.in/rjcheckpost के माध्यम ऑन लाईन कर का भुगतान किया जा सकेगा। पोर्टल का उपयोग करते हुए कर भुगतान करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1 आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध 'Other State Vehicle tax collection' विकल्प का चयन कर वाहन से संबंधित सूचना जिसमें पंजीयन क्रमांक, वाहन स्वामी का नाम, चैसिस संख्या, वाहन का प्रकार, बैठक क्षमता, मोबाईल फोन, परमिट का प्रकार, प्रवास की अवधि एवं राज्य में प्रवेश करने के मार्ग आदि से संबंधित सूचनाएं दर्ज की जाएगीं।

2 आवदेक के लिए मोबाईल नम्बर की सूचना दर्ज करना आवश्यक होगा क्योंकि उसके द्वारा दिये गये कर भुगतान से सम्बंधित सूचना SMS के द्वारा इस मोबाईल नम्बर पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

3 पोर्टल द्वारा स्वतः वाहन पर देय कर की गणना प्रदर्शित की जाएगी जिसके पश्चात आवेदक राजस्थान सरकार के e-GRAS Portal के माध्यम से चयनित बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए कर का भुगतान कर सकेगा। वर्तमान में निम्न 8 बैंकों के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैः–

i. State Bank of Bikaner and Jaipur (SBBJ)
ii. State Bank of India (SBI)
iii. Punjab National Bank (PNB)
iv. Bank of Baroda (BOB)

v. Central Bank of India (CBI)
vi. Oriental Bank of Commerce (OBC)
vii. Union Bank of India (UBI)
viii. Industrial Development Bank of India (IDBI)

4 पोर्टल पर आवेदक द्वारा किये गये भुगतान की रसीद प्रिन्ट करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसे आवेदक को राज्य में प्रवास के दौरान साथ रखना अनिवार्य है।

5 भुगतान की सूचना एवं रसीद का विवरण आवेदक को आवेदन के समय प्रविष्ठ किये गये मोबाईल नंबर पर SMS के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

6 रसीद की पुष्टि पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प 'Check Transaction' में रसीद संख्या दर्ज कर प्राप्त किया जा सकता है।

7 विभागीय उडनदस्तों को चैकिंग के दौरान वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रसीद की पुष्टि हेतु SMS सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उडनदस्ता प्रभारी को निम्नलिखित सूचना मोबाईल नंबर 7738299899 पर SMS करनी होगी :–

<VAHAN>SPACE<RJ>SPACE<CP><VEHICLE REGISTRATION NUMBER>
उदाहरण के लिए
VAHAN RJ CP DL99XX1234

उक्त SMS के प्रतिउत्तर में सत्यापन कर्त्ता चैकिंग अधिकारी को अविलम्ब एक SMS प्राप्त होगा जिसमें वाहन के द्वारा जमा किये गये कर एवं अवधि की सूचना अंकित होगी।

8 पोर्टल द्वारा प्रिन्ट कैश रिसिप्ट पर एक 'QR Code' प्रिन्ट होगा। इस QR Code कोड को स्केन करने पर भी इस रिसिप्ट से सम्बंधित सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

9 'Check post portal' से कैश प्राप्तियो का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध 'Report' से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए समस्त परिवहन कार्यालयों के लिए यूजर आई डी आवंटित कर, पृथक से भिजवाये जा रहे हैं।

यह नवीन व्यवस्था विभागीय कर संग्रह केन्द्रों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी करने एवं आमजन को अपनी सुविधानुसार राशि जमा करावाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कर जमा करवाने हेतु कर संग्रह केन्द्रो पर रूकने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाती है कि नित्य प्रतिदिन Check post portal पोर्टल से अपने यूजर आई.डी. का उपयोग करते हुए प्रतिदिन की राजस्व प्राप्तियों की रिपोर्ट संधारित करें।

वाहन स्वामियों को चैकपोस्ट पोर्टल द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाईन कर जमा करने की सुविधा वर्तमान में चैकपोस्टों पर रूक कर कर जमा करवाने की व्यवस्था के समानान्तर उपलब्ध करवाई जा रही है। ऑन लाईन कर जमा करने वाले वाहन स्वामियों को पूर्ण सहयोग दिया जावे। इस ऑन लाईन सुविधा का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुए उडनदस्तों के प्रभारियों को प्रक्रिया से अवगत करावें। उक्त आदेश की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावें।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 25 (52) परि/कम्प्यू./12/ 3143 जयपुर, दिनांकः– 26/3/2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)